

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
धारा 4 उपधारा (i) ख के तहत प्रकाशित सूचनाएँ

1.	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची का संगठन एवं इसके कार्यों तथा कर्तव्यों की विवरणी	<p>15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य के निर्माण के पश्चात् मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड सरकार का गठन किया गया जिसके नियंत्री पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार हैं।</p> <p>विभाग का कर्तव्य एवं दायित्व भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के अनुसार विधान सभा एवं लोक सभा का चुनाव/उप चुनाव का निष्पादन करवाना। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाकर उसे अद्यतन करना मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र तैयार करवाना तथा समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत आदेश निर्देश एवं मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करना है।</p> <p>मतदाता सूची की तैयारी पुनरीक्षण एवं सर्वेक्षण के लिये अनुमण्डल स्तर पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी होते हैं जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी होते हैं।</p> <p>निर्वाचन कार्यों के संचालन हेतु लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों के लिये निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन कार्य के निष्पादन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से मतदान केन्द्र प्रभारी पदाधिकारी एवं पोलिंग पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।</p>
2.	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्यों की विवरणी	राज्य सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में कर्तव्य का निर्वहन करना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाना, लोक सभा एवं विधान सभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के मार्ग दर्शन में सम्पन्न करवाना।
3.	पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारित करने की कड़ी में निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी	निर्वाचन विधि निर्देशिका भाग I एवं II Compendium of instructions on Conduct of Elections जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51 एवं भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अनुरूप कार्य करना एवं किये गए कार्य के लिये भारत निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी होना।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिये निरूपित मानक	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक का अनुसरण करते हुए कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करना।
5.	विधि, उपविधि, नियम, विनियम, विनिर्देश मैनुअल तथा उसके नियंत्रण के अधीन अन्यप्रवर्ग के अभिलेख जो उसके कर्मचारियों द्वारा कार्य के निर्वहन में उपयोग किये जाते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> (i) निर्वाचन विधि निर्देशिका वोल्यूम I एवं II (ii) Compendium of instructions on Conduct of Elections. (iii) Hand Book of Returning Officers. (iv) Hand Book of Presiding Officers. (v) Compendium on ERS, EPIC, SLA &

		<p>Computerization.</p> <p>(vi) Hand Book for Candidates (vii) Hand Book for Polling Agents (viii) Hand Book for Counting Agents (ix) Political Parties & Election Symbols (x) List of persons disqualified u/s 8A, 10A & 11A(i) of the representation of people Act.</p> <p>सभी पुस्तकें भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक पथ, नई दिल्ली से क्रय की जा सकती है। सभी पुस्तकें भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट (eci.nic.in) पर भी संधारित है।</p>
6.	विभाग/संगठन अथवा इसके नियंत्रणाधीन धारित अभिलेखों की श्रेणी की विवरणी	<p>(क) राज्य के अन्तर्गत सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अभिरक्षण।</p> <p>(ख) विधान सभा एवं लोक सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों से संबंधित विवरण रखना।</p> <p>(ग) राजनीतिक दलों की सूची।</p>
7.	इसकी नीतियों अथवा प्रशासन के आमजनों से विचार विमर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व की पूर्ण की कोई व्यवस्था हो तो उसकी विवरणी	भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित नीतियों/मार्गदर्शन के आलोक में कार्य करना एवं उनका अनुपालन करना।
8.	संगठन को सलाह देने के उद्देश्य से गठित जैसे बोर्ड, पर्षद समिति अथवा अन्य ऐसे निकाय जो दो या उससे अधिक व्यक्तियों से गठित हो की विवरणी। यदि ऐसे बोर्ड पर्षद समिति या अन्य निकाय जो ग्राम जनों के लिए खुले हों तो उनके हेतु बैठक की कार्यवाही आमजनों को उपलब्ध है या नहीं की भी सूचना दी जाय।	इस विभाग के अन्तर्गत कोई बोर्ड पर्षद समिति या अन्य कोई निकाय गठित नहीं है।
9.	पदाधिकारियों एवं कर्मियों की निर्देशिका	<p>(क) श्री एल0 खियांगते, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची। दूरभाष- 0651-2440077</p> <p>(ख) श्री महादेव धान, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, दूरभाष- 0651-2444782</p>
10.	संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मियों को विनियम अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	सूची संलग्न
11.	योजना, प्रस्तावित व्यय एवं व्ययन से संबंधित प्रतिवेदन दर्शाते हुए प्रत्येक एजेन्सी को उपलब्ध कराया गया बजट उपबंध	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत योजना मद का कार्य सामान्यतः नहीं होता है।
12.	उपबन्धित राशि एवं इस कार्यक्रम अन्तर्गत लाभन्वितों की विवरणी सहित अनुदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विधि	इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।

13.	संगठन द्वारा प्राधिकृत किये गए रियायत अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करने वालों की विवरणी	इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।
14.	संगठन के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं की विवरणी	सूचनाएँ विभागीय वेबसाईट (www.jharkhand.gov.in/ceo) पर संधारित है।
15.	आमजनों को सूचना देने हेतू यदि कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई हो तो उसका विवरण। इस हेतू यदि कोई आमजनों के उपयोग हेतू पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष कायम किया गया हो तो उसका विवरणी भी दिया जाय।	इन्टरनेट के माध्यम से राज्य की मतदाता सूची निर्वाचित विधान सभा एवं लोक सभा के सदस्यों की सूची। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रयोग विधि से संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है।
16.	जनसूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	(क) जन सूचना पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार, सरकार के अवर सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, सेक्टर-2, धुर्वा, राँची। मोबाईल सं0-8986756393 (ख) अपीलीय पदाधिकारी श्री महादेव धान, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, झारखण्ड, राँची। दूरभाष - 0651-2444782 ई-मेल - ceo_jharkhand@eci.gov.in
17.	अन्य सूचना यदि कोई हो	<u>सूचना प्राप्ति के लिए प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क</u> (क) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के उपधारा(i) के अधीन सूचना प्राप्ति हेतू प्रत्येक आवेदन 10/- (दस) रुपये के आवेदन शुल्क के साथ देय होगा। यह राशि नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक-7वि0वि0सं0-03-97/2005 (पार्ट-i) 3865 दिनांक-25/07/2006 के अनुसार मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवाएँ लघुशीर्ष 118 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियाँ शीर्ष में जमा की जाएँगी। (ख) अधिनियम की धारा 7 उपधारा(i) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क देय होंगे।

संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मियों को विनियम अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक (फरवरी २०१६)

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मुल वेतन+ग्रेड पे
1	श्री एल० खियांगते, भा०प्र०से० मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव	79000.00
2	श्री महादेव धान, झा०प्र०से० संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	—
3	श्री राजेश कुमार राय, झा०प्र०से० उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उप सचिव	35990.00
4	श्री गोपीनन्दन प्रसाद, अवर सचिव	42040.00
5	श्री शशिभूषण उपाध्याय, अवर सचिव	31890.00
6	श्री प्रदीप कुमार, अवर सचिव	29230.00
7	श्री राजेश रंजन वर्मा, उप निर्वाचन पदाधिकारी	30690.00
8	श्री संजय प्रसाद श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी	28280.00
9	श्री अरूण प्रकाश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी	28250.00
10	श्री गुरु मित सिंह, प्रधान आप्त सचिव	—
11	श्री महेश प्रसाद, आप्त सचिव	27080.00
12	श्री श्यामदेव चौधरी, आप्त सचिव	27080.00
13	श्री विनय कुमार, सहायक	25250.00
14	श्री धीरज कुमार, सहायक	18190.00
15	श्री सैयद नासिर जमील, कम्प्यूटर सहायक	27470.00
16	श्री चन्द्रकान्त प्रसाद सिंह, सहायक	22340.00
17	श्री कृष्ण कुमार, सहायक	18890.00
18	श्री बाल्मिकी कुमार साव, उच्च वर्गीय लिपिक	11860.00
19	श्रीमती बबीता रानी, उच्च वर्गीय लिपिक	11860.00
20	श्री शिवेश्वर झा, निम्न वर्गीय लिपिक	11480.00
21	श्री आशुतोष रंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा)	18192.00
22	श्री कुमुद पाण्डेय, चालक	9260.00
23	श्री मुन्ना कच्छप, चालक (संविदा)	16275.00
24	श्री रामअवधेश सिंह, फर्सास	10710.00
25	श्री योगेन्द्र गागराई, अनुसेवक	10890.00
26	श्री मुंशी राम, अनुसेवक	7870.00
27	श्री शुभम कुमार, अनुसेवक	7000.00
28	श्रीमती रजनी, स्वीपर (संविदा)	13378.00

इसके अलावा मकान किराया भत्ता, मं० भत्ता आदि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय है।